प्रेस नोट – मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक – 02.11.2026

ऑपरेशन कन्विक्शन: गैंगस्टर एक्ट के मामले में शाहजहाँपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी, गैंग लीडर मुन्ना उर्फ शकील को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5,000/- के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जघन्य अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों को न्यायालय से अधिकतम एवं कठोर दण्ड दिलाये जाने हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली एवं श्री अजय कुमार साहनी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली के निर्देशानुसार श्री सौरभ दीक्षित, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर जघन्य अपराध के मामले में न्यायालय से कठोर सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा श्री शुभम वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर/प्रभारी पैरवी के कुशल पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल, थाना खुदागंज पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस टीम द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित साक्ष्यों को समयबद्ध रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया तथा अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे-05, शाहजहाँपुर द्वारा गैंगस्टर मुन्ना उर्फ शकील पुत्र चमन निवासी ग्राम रसिया खानपुर थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत को 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹5,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी से दिलाई गई सजा-

दिनांक 30.05.2024 को थाना प्रभारी खुदागंज श्री सत्यप्रकाश सिंह द्वारा पुलिस टीम के साथ जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा अनुमोदित गैंग के गैंग लीडर मुन्ना उर्फ शकील पुत्र चमन निवासी ग्राम रसिया खानपुर, थाना बीसलपुर, जनपद पीलीभीत के विरुद्ध अवैध गिरोह स्थापित कर जघन्य अपराध कारित करने एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहने के आरोप में धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण की गई। विवेचना के दौरान संकलित भौतिक एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी ढंग से अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष, प्रभारी मॉनीटरिंग सेल एवं थाना खुदागंज पुलिस की निरन्तर एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा गैंग लीडर मुन्ना उर्फ शकील को 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹5,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा प्राप्त अभियुक्त का विवरण-

मुन्ना उर्फ शकील पुत्र चमन ग्राम रसिया खानपुर, थाना बीसलपुर, जनपद पीलीभीत।

अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 171/2024, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुर।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

प्रकरण में गैंग लीडर मुन्ना उर्फ शकील पुत्र चमन निवासी ग्राम रसिया खानपुर, थाना बीसलपुर, जनपद पीलीभीत द्वारा अपना एक गैंग गठित कर अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी, नकबजनी आदि जघन्य अपराध कारित करते हुए स्वयं एवं अपने गैंग के सदस्यों के परिवारों के आर्थिक लाभ हेतु अनुचित रूप से धन अर्जित करने तथा

आमजनमानस में भय एवं आतंक व्याप्त करने के आरोप में थाना खुदागंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त प्रकरण में थाना खुदागंज पुलिस, मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार किया गया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त मुन्ना उर्फ शकील को 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹5,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस की प्रतिबद्धता-

शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा जघन्य अपराधों में संलिप्त अपराधियों को कानून के कठघरे तक पहुँचाने के साथ-साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर उन्हें कठोर दण्ड दिलाने की कार्यवाही निरन्तर जारी है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की जा रही प्रभावी पैरवी के माध्यम से अपराधियों में कानून का भय स्थापित करने एवं आमजनमानस में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ करने हेतु निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।